



5591

दूरभाष— 2286709
2286710

नव घेताना कॉन्व, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : 4752/05/76/एक/2015-16

दिनांक: 16 मार्च 2016

सेवा में

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,

जिला नगरीय विकास अभिकरण

जनपद-इलाहाबाद।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा छूटा को प्रेषित की गयी धनराशि की सूचना का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को बीएसयूपी योजनान्तर्गत निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि आन्तरित की जा चुकी है।

| धनराशि का प्रेषण (लाख रु0 में) | | | |
|--------------------------------|-----------------|--------------------------|--------|
| बैंक का नाम | खाता संख्या | आईएफएससी कोड | धनराशि |
| शून्यिन बैंक आफ इपिड्या | 394302010992508 | IFSC Code UBIN0539431 | 36.22 |

| जनपद का नाम | अनुदान संख्या | आवास संख्या | प्रश्नगत परियोजनाओं में शासन से प्राप्त धनराशि के सापेक्ष वर्किंग कार्स्ट/लेबर सेस/अग्रिम का समायोजनोपरान्त धनराशि का प्रेषण | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------|--|----------|--------|-------------------|--------------------------|
| | | | वर्किंग कार्स्ट | लेबर सेस | कुल | अग्रिम का समायोजन | प्रेषित की जा रही धनराशि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| इलाहाबाद/ इलाहाबाद | अनु. 37 / 83 पीएलए | 244/ 210 | 25.570 | 10.650 | 36.220 | 0.000 | 36.22 |
| | योग | | 25.570 | 10.650 | 36.220 | 0.000 | 36.22 |

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय बीएसयूपी योजनान्तर्गत सम्बन्धित मूल्यवृद्धि की ढीपीआर के साथ पठित पीएफएडी तथा भारत सरकार के द्वारा जारी स्वीकृतियों में वर्णित मदों पर ही किया जाये जिनके लिये धनराशि स्वीकृत की गयी है। परियोजना की ढीपीआर में स्वीकृत दरों एवं कार्य की भौतिक प्रगति को दृष्टिगत रखते हुये ही कार्यदायी संस्था को तदनुसार धनराशि दी जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि जितनी धनराशि कार्यदायी संस्था को दी गई है, उसके सापेक्ष भौतिक प्रगति भी होनी चाहिए। उपरोक्त मद के अतिरिक्त अन्य किसी मद में व्यय करना और दिशा निर्देशों का अनुपालन न करना वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आयेगा। किसी भी दशा में कोई व्यवर्तन अनुमन्य न होगा। उक्त परियोजना प्रत्येक दशा में माह दिसम्बर 2016 तक पूर्ण की जानी है तदोपरान्त भारत सरकार को प्रश्नगत परियोजना की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किये जाने हैं, ऐसी स्थिति में उक्त धनराशि कार्यदायी संस्था पर प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में अग्रेतर कोई भी मूल्यवृद्धि यदि होती है तो उसका उत्तरदायित्व जनपद का होगा। प्रश्नगत धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व द्वारा एमओयू कार्यदायी संस्था से करना होगा जिसमें निम्न बिन्दुओं का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा:-

- 1— समस्त कार्य मूल्यवृद्धि की ढीपीआर के आधार पर प्राथमिकता पर पूर्ण करने होंगे।
- 2— मार्च 2017 तक प्रत्येक दशा में उपयोगिता प्रमाण पत्र सूडा मुख्यालय को उपलब्ध कराने होंगे।
- 3— इस मूल्यवृद्धि के बाद पुनः किसी प्रकार की मूल्यवृद्धि देय नहीं होगी।



558/2

दूरभाष— 2286709

2286710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक भावी, लखनऊ—226001

राज्य नगरीय विकास अभियान, उ.प्र.

- 4— उपलब्ध स्वीकृत धनराशि से समस्त निर्माण कार्य पूर्ण करने होंगे।
- 5— निर्माणाधीन आवास निर्माण पर लाभार्थी अंशदान संशोधित दरों पर छूटा द्वारा कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराया जायेगा लाभार्थी अंशदान न उपलब्ध कराये जाने की दशा में उतनी लागत का कार्य कायदायी संस्था द्वारा छोड़ दिया जायेगा जैसाकि पूर्व में निर्देश निर्गत किये गये हैं।
- 6— कार्य पूर्ण होने के उपरान्त केन्द्र/राज्य सकार के निर्देशानुसार परियोजना की क्लोजर रिपोर्ट अभियान मुख्यालय को छूटा के माध्यम से उपलब्ध करानी होगी।
- 7— सृजित की गई परिसम्पत्तियों का स्थानान्तरण सम्बन्धित नगर निकाय (यूएलओ) को करना होगा और उक्त का प्रमाण पत्र सूडा को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा।

भवदीय,
(लल प्रसाप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव।

प्रतीलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभियान, सम्बन्धित जनपद।
2. परिं प्रबन्धक, ए०डी०ए० आगरा
3. परियोजना अधिकारी—सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग—सूडा।

(लल प्रसाप सिंह)
वित्त नियन्त्रक